न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा R.A.S

प्रकरण संख्या 60/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 श्रीमती शंकरी देवी पत्नि बालू कुम्हार उम्र–वयस्क निवासी नाथडियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.

..... प्रार्थीया

बनाम

1 श्रीमती ज्योती देवी पत्नि पुरूषोत्तमदास ठारवानी उम्र–वयस्क निवासी वार्ड नम्बर 22, प्रताप टॉकिज रोड. पी.एम.टी. मेन्शन भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा राज.
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3 अशोक कुमार पिता मोहन लाल कोठारी (महाजन) उम्र–वयस्क निवासी काशीपुरी, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा राज.
4 आनन्द चपलोत पिता ख्याली लाल चपलोत (महाजन) उम्र–वयस्क निवासी कांचीपुरम, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा राज.

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री कैलाश चन्द्र आचार्य––––– प्रार्थी अधिवक्ता

राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ

श्री आदित्य नारायण ––––अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01

अनुपस्थित– विपक्षी संख्या 03, 04

निर्णय

दिनांक 01–10–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 07.09.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा नाथडियास पटवार मण्डल क्षेत्र बिलियाकलां भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ स्थित खसरा संख्या 239, 244 प्रार्थीया के एकल स्वामित्व से खातेदारी अधिकारों में दर्ज अभिलिखित है, एवं प्रार्थीया के खातेदारी खसरान में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपने खसरान तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीया वर्षो से अप्रार्थी संख्या 03, 04 के सहखातेदारी खसरे में से होकर

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

आती जाती रही है, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट/व्यवधान उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीया ने विपक्षी संख्या 03, 04 की आराजी संख्या 245 की मेड के सहारे सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थनापत्र प्रार्थीया स्वीकार कराया जाकर प्रार्थीया के खातेदारी खसरान में पहुंच हेतु अप्रार्थी संख्या 03, 04 के हक स्वामित्व के खसरान संख्या 245 भूमि में से 20 फिट नवीन रास्ता कायम किये जाने की ईस्तदुआ की गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 09.09.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, जिन्हे रेकार्ड पर लिया गया। अप्रार्थी क्रम 01 की ओर से मार्फत नियुक्त अधिवक्ता श्री आदित्य नारायण द्वारा द्वारा खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया का वर्षो से अप्रार्थी संख्या 01 के खसरे से आवागमन का कथन असत्य है। प्रार्थीया के पास मौके पर वैकल्पिक मार्ग पहले से ही मौजूद है, जिसका उपयोग प्रार्थीया वर्षो से करती चली आ रही है। प्रार्थीया शुरूआत से ही रेकार्डेड दर्ज रास्ता खसरा 246, 206 से होकर अपनी आराजी में प्रवेश करती आ रही है। जवाबदाता के खसरे में से न तो वर्तमान में कोई रास्ता निकल रहा है न ही कभी निकला था। 20 फीट नवीन रास्ता कायमी का यह झूंठा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जो न्याय संगत नही है। शुरूवात से ही प्रार्थीया की वैकल्पिक मार्ग से बिना किसी बाधा/रूकावट के आवाजाही रही है। यदि प्रार्थी को चाहे गये रास्ते अनुसार भूमि दे दी जाती है, तो अप्रार्थी संख्या 01 को इससे भारी क्षति होगी, साथ ही इससे अप्रार्थी का कृषि कार्य भी प्रभावित होगा। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी सव्यय खारीज फरमाया जावें।

इसी बीच प्रार्थनापत्र विचारण दौरान अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा मार्ग कायमी से प्रभावित होने वाले अपने खातेदारी में दर्ज खसरे का पंजीकृत विकाव अप्रार्थी संख्या 03, 04 के पक्ष में कर देने से सद्भावित क्रेतागणों को प्रार्थनापत्र में बतौर नवीन पक्षकार संयोजन के उद्देश्य से प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुतशुदा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता को बाद विश्लेषण/चिन्तन तथा विपक्षी को मुनासिब अवसर प्रदान करने के उपरान्त मंजूर किया गया एवं सद्भावित क्रेतागणों को प्रार्थनापत्र में बतौर नवीन पक्षकार विपक्षी संख्या 03, 04 के स्थानों पर संयोजित किया गया। परन्तु विपक्षी संख्या 03, 04 के विरूद्ध बावजूद तामील गैर हाजिर पाये जाने पर एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार हमीरगढ को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार हमीरगढ ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया है कि प्रार्थीया के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थीया के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है। तहसीलदार द्वारा मौजा नाथडियास पटवार मण्डल क्षेत्र बिलियाकलां भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ स्थित अप्रार्थी संख्या 03, 04 के सहखातेदारी खसरा संख्या 245 रकबा 0.2655 में से 0.0116 हैक्टयर (78 फीट बाई 16 फीट/1248 वर्गफीट) भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Scanned with CamScanner

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। वकूलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

1. रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :– प्रार्थीया के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नही है। विपक्षी ने जवाब में दिये गये हवाले के मुताबिक प्रार्थीया का शुरूआत से ही वैकल्पिक मार्ग में से होकर अपने खसरे में आवागमन हो सकना अथवा किया जाना अवगत कराया है। लेकिन इस वैकल्पिक मार्ग का सुचारू एवं निकटतम होना जवाबदाता ने राजस्व नक्शे के माध्यम से पूर्णतया साबित नही किया है।
2. प्रार्थीया के लिए सबसे निकटतम/सुगमतम मार्ग प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग ही है। जो राजस्व/नजरी नक्शे के अवलोकन से सिद्ध भी हुआ है।
3. रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है कि प्रार्थीया के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त मौके पर अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थीया के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है।
4. प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता निर्बाध आवागमन के लिहाज से सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। फिर भी अप्रार्थीगण को न्यूनतम क्षति/असुविधा हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रार्थीया के लिए प्रस्तावित किए गये खसरान में से 16 फीट चौडाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक समझता है।

अतः मौजा नाथडियास पटवार मण्डल क्षेत्र बिलियाकलां भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ स्थित अप्रार्थी संख्या 03, 04 के सहखातेदारी खसरा संख्या 245 रकबा 0.2655 में से 0.0116 हैक्टयर (78 फीट बाई 16 फीट/1248 वर्गफीट) नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायपूर्ण मानता है।

–::आदेश::–

प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 03, 04 इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके मौजा नाथडियास पटवार मण्डल क्षेत्र बिलियाकलां भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा की सरहद में स्थित अप्रार्थी संख्या 03, 04 के सहखातेदारी खसरा संख्या 245 रकबा 0.2655 में से 0.0116 हैक्टयर (78 फीट बाई 16 फीट/1248 वर्गफीट) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब तहसील हमीरगढ में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार प्रभावित रकबा 0.0116 हैक्टेयर (116 वर्गमीटर) की मालियत राशि की दो गुना राशि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 03, 04 (आराजी संख्या 245 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में अदायगी कर दी जावेगी अथवा राजकोष में जमा करा दी जावेगी।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Scanned with CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 01–10–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)

उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ

जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ (राज.)

Scanned with CamScanner